न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 45/201 9 **दायरा दिनांक : 25.06.2019**

उनवान

1— गोरधन आत्मज लक्ष्मण, जाति भील, निवासी भरतपूरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2— चन्दा आत्मज लक्ष्मण, जाति भील, निवासी भरतपूरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3— धन्ना आत्मज लक्ष्मण, जाति भील, निवासी भरतपूरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— कमल सिंह आत्मज सींगा, जाति भील, निवासी भरतपूरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2— विष्णु आत्मज सींगा, जाति भील, निवासी भरतपूरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3— सुगना पुत्री सींगा, जाति भील, निवासी भरतपूरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4— निर्मला पुत्री सींगा, जाति भील, निवासी भरतपूरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5— भरोसी बाई बेवा सींगा, जाति भील, निवासी भरतपूरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

6— रामलाल आत्मज बंशीलाल, जाति भील, निवासी भरतपूरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

7— हरकू बाई पुत्री बंशीलाल, जाति भील, निवासी भरतपूरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

8— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 44/2019 **दायरा दिनांक : 25.06.2019**

उनवान

1— गोरधन आत्मज लक्ष्मण, जाति भील, निवासी भरतपूरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2— चन्दा आत्मज लक्ष्मण, जाति भील, निवासी भरतपूरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3— धन्ना आत्मज लक्ष्मण, जाति भील, निवासी भरतपूरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— कमल सिंह आत्मज सींगा, जाति भील, निवासी भरतपूरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2— विष्णु आत्मज सींगा, जाति भील, निवासी भरतपूरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3— सुगना पुत्री सींगा, जाति भील, निवासी भरतपूरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4— निर्मला पुत्री सींगा, जाति भील, निवासी भरतपूरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5— भरोसी बाई बेवा सींगा, जाति भील, निवासी भरतपूरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

6— रामलाल आत्मज बंशीलाल, जाति भील, निवासी भरतपूरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

7— हरकू बाई पुत्री बंशीलाल, जाति भील, निवासी भरतपूरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

8— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री रविशंकर विजय अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री श्याम सुन्दर शर्मा ।। अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.01.2020

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या — 62/2015 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.10.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.11.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थीगण द्वारा धारा 88, 89, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम भरतपूरा, तहसील अकलेरा के माल की खाता संख्या 13 की 3 किता की 23 बीघा 3 बिस्वा आराजी के खाता विभाजन हेतु वाद पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तौर से अपीलार्थीगण को बिना सम्यक तामील के तामील मानकर एक पक्षीय रूप से प्रारम्भिक एवं अंतिम डिक्री कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपीले पेश की गई हैं । अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण को प्रकरण हाजा के सम्मन की कभी तामील नहीं हुई जिस कारण अपीलार्थीगण का न्यायालय में उपस्थित होना संभव नहीं था । उक्त वाद में सम्मन किस तारीख व किस व्यक्ति की पहचान पर तामील कुनिन्दा द्वारा तामील करवाये दर्ज नहीं किये जाने से विधिवत तामील की परिभाषा में नहीं आते हैं और ना ही तामील कुनिन्दा कीशपथ घोषणा एवं उसका

विधिवत सत्यापन भी तहसीलदार अकलेरा द्वारा नहीं किया गया है । इस कारण एक तरफा कार्यवाही की आदेश 5 दिनयंक 18 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों की स्पष्ट रूप से अवहेलना है । अपीलार्थीगण को कभी भी व्यक्तिशः सम्मन की तामील नहीं हुई है । तामील कुनिन्दा द्वारा अंकित रिपोर्ट में रायसिंह/रामसिंह के हस्ताक्षर करवाये गये हैं जिसका अपीलांर्थीगण से कोई सम्बन्ध नहीं है । एक तरफा निर्णय एवं प्रारम्भिक व अंतिम डिक्री के आधार पर विवादित आराजी पर प्रत्यर्थीगण को अधिकार दिये गये तो अपीलार्थीगण के विधि सम्मत अधिकारों के साथ कुठाराधात होगा, जिस कारण न्याय हित में अपीलार्थीगण को जवाबदेही एवं साक्ष्य का अवसर न्याय हित में आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की है उसमें राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है और ना ही मौके पर कोई रिपोर्ट अपीलार्थीगण के समक्ष एवं उपस्थिति में तैयार की गई है इस कारण भी अंतिम डिक्री अपास्त होने योग्य है । अपील में कई कानूनी बिन्दू अन्तर्लिप्त है इस कारण अपीलार्थीगण को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किया जाना भी न्यायहित में आवश्यक है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.10.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.11.2016 अपास्त किया जावे ।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.06.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । दोनों अपीलों में न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अपील के तथ्य से प्रमाणित है कि अपीलांट को सम्मन की प्रोपर तामील नहीं हुई है । अतः हम प्रकरण को न्यायहित में दोबारा सुनवायी हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 44/2019 एवं 45/2019 अपीलांट स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.10.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.11.2016 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.04.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा